उत्तराखंड में चारधाम परियोजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र ने **सर्वोच्च न्यायालय** को बताया कि उत्तराखंड में चार प्रमुख तीर्थ स्थलों तक संपर्क सुधारने के लिये बनाई गई **चारधाम परियोजना** का **75%** कार्य पूरा हो चुका है।

मुख्य बिंदु

- **चारधाम परियोजना:**
    - इस परियोजना में **यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ** को बेहतर संपर्क प्रदान करने के लिये **900 किलोमीटर लंबी बारहमासी सड़क** का निर्माण शामिल है।
    - यह परियोजना रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह चीन सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों तक विस्तृत है।
    - नए राजमार्गों से यात्रा आसान और सुरक्षित हो जाएगी, विशेषकर **मानसून और सर्दियों के दौरान,** जब मौजूदा सड़कें भूस्खलन और अवरोधों के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं।
- **निरीक्षण समिति:**
    - सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले पर्यावरण संबंधी चिंताओं के समाधान के लिये सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति **ए.के. सीकरी** की अध्यक्षता में एक **निरीक्षण समिति** गठित की थी।
    - समिति ने परियोजना की प्रगति और दिशानिर्देशों के अनुपालन का आकलन करते हुए, अप्रैल 2024 में और **27 अगस्त, 2024 को दो रिपोर्टें** सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी हैं।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएँ और न्यायालय के आदेश:**
    - संवेदनशील **हिमालयी पारिस्थितिकी** तंत्र से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं के कारण इस परियोजना को विरोध का सामना करना पड़ा।
    - **दिसंबर 2021** में, सर्वोच्च न्यायलय ने चारधाम राजमार्ग को **डबल-लेन चौड़ा करने** की अनुमति दी, लेकिन पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिये सीकरी के नेतृत्व वाली समिति पर निगरानी की ज़िम्मेदारी सौंप दी।
    - निरीक्षण समिति को नए सिरे से **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन** करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वह परियोजना के क्रियान्वयन की निगरानी करती है।
- **सरकारी मंत्रालयों से सहायता:**
    - **समिति को रक्षा, सड़क परिवहन** और **पर्यावरण** मंत्रालयों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है .
    - उत्तराखंड **सरकार** और स्थानीय ज़िला मजिस्ट्रेट भी समिति के साथ सहयोग कर रहे हैं।
    - **राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान** और **वन अनुसंधान संस्थान (देहरादून)** के प्रतिनिधि पर्यावरण निगरानी तंत्र का हिस्सा हैं।

//

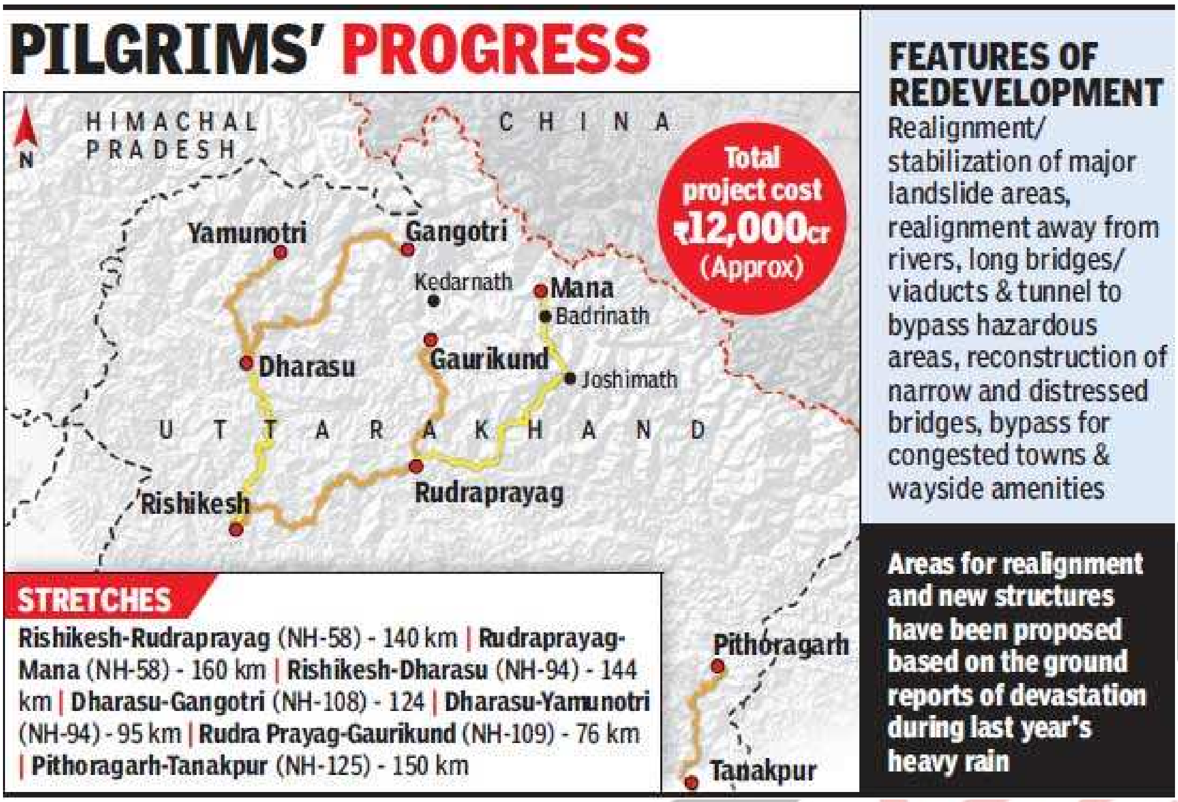

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/chardham-project-in-uttarakhand